सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 14, मंगलवार, शाके 1944-जुलाई 05, 2022 *Asadha 14, Tuesday , Saka 1944- July 05, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

.सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपुर

सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट.

;भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 4 **से** 9 **नियम** 2016 **के नियम** 4 **से** 10

जयपुर, जून 21, 2022

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 **के प्रावधानो के तहत सम्पर्क सड़क झालरापाटन रेलवे स्टेशन अधिग्रहित होने वाली निम्न वर्णित भूमियों का अर्जन किया जाना है। सूची में अंकित भूमियों का विवरण निम्न प्रकार हैः**

निजी भूमियां है0	सिवायचक भूमिया है0	चरागाह भूमियां है0	वन भूमियां है0	सरकारी भूमियां है0	योग है0
1.1895	-	-	0.90	0.1011	2.1906

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के आदेश क्रमांक 469/पीडब्ल्यूडी/झालावाड दिनांक 03.07.2020 द्वारा गठित कमेटी में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करने लिये Right to Fair Compensation and Trasparency land Acquisition Rehabilitation and Resettelment Rules 2016 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति का आवेदन पत्र के संलग्न सूची में अंकित भूमियों का मौका निरीक्षण किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचियां को सम्बन्धित ग्राम पंचायत व ग्रामो में चस्पा कराया गया है भूमियों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

निजी भूमि

ग्राम बक्शपुरा ग्राम पंचायत गिरधरपुरा निजी भूमि है0

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0
196/91	0.1770	96	0.0330	95	0.0066	99	0.0098
205/90	0.0176	207/93	0.0126	209/94	0.0758	211/98	0.1168
103	0.0253	120	0.0885	188/104	0.0253	182/112	0.0055
180/109	0.0058	260/74	0.0180	265/119	0.0758	266/119	0.0440
261/74	0.0496	262/74	0.0544	73	0.0126	263/119	0.1550
264/119	0.1190	102	0.0615	-	-	-	-

सरकारी भूमि

क्षेत्रफल सरकारी भूमि है0

ग्राम का नाम	**खसरा नम्बर**	**क्षेत्रफल है**0	**खसरा नम्बर**	**क्षेत्रफल है**0	**खसरा नम्बर**	**क्षेत्रफल है**0	**खसरा नम्बर**	**क्षेत्रफल है**0
बख्शापुरा	172/89	0.0632	111	0.0379	-	-	-	-

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम **2013** धारा **4** से **9** नियम **2016** के नियम **4** से **10** के अन्तर्गत सड़क निर्माण में अधिग्रहित किये जाने वाली भूमियों **1.1895** है**0** के सन्दर्भ में कार्यालय ग्राम पंचायत गिरधरपुरा में ग्राम पंचायत बैठक में दिनांक **15.06.2020** में समस्त ग्रामवासियों की मौजुदगी में विचार विमर्श किया गया प्रस्ताव की प्ररति का कमेटी द्वारा अध्ययन किया गया। प्रस्तावित भूमि अर्जन योजना के विधीसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक है सड़क निर्माण क्षेत्र में अर्जन की जाने वाली भूमि से कोई परिवार/कुटुम्ब विस्थापित नही होना पाया गया है, ना ही किसी भी परिवार के पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है, भूमि अर्जन विधीसम्मत और सामुदायिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक होने एवं कार्य से छूट की अनुशंसा कोरम द्वारा की गई तथा इस प्रयोजन के लिये सर्वसम्मति से अनापत्ति दी गई है।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के आदेश क्रमांक **469/**पीडब्ल्यूडी/झालावाड दिनांक **03.07.2020** के क्रम में भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम **2013** की धारा **4** से **9** नियम 2016 के नियम **4** से **10** के अनुसार अधिग्रहित होने वाली भूमियों **1.1895** है**0** का मौका निरीक्षण कर एवं बैठक ग्राम पंचायत गिरधरपुरा के प्रस्तावों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि अर्जन सड़क निर्माण एक विधीसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक है सड़क निर्माण क्षेत्र में अर्जन की जाने वाली भूमि से कोई परिवार/कुटुम्ब विस्थापित नही होना पाया गया है, ना ही किसी भी परिवार के पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है, भूमि अर्जन विधीसम्मत और सामुदायिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक होने एवं कार्य शीघ्र पूरा करने को दृष्टिगत रखते हुऐ सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी **(**उपखण्ड अधिकारी**)** महोदय**,** झालावाड़ की सेवा में प्रेषित है।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।